

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० 400] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 9, 1976/अग्रहायण 18, 1898  
No. 400] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 9, 1976/AGRAHAYANA 18, 1898

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

---

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

CORRIGENDUM ✓

New Delhi, the 9th December 1976

G.S.R. 913(E)/Ess.Com./Sugarcane.—In the Order of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), No. G.S.R. 542(E)/Ess.Com./Sugarcane, dated the 27th October, 1975, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 27th October 1975,—

At page 2216, in line 1 of sub-clause (3) of clause 9A for "2 of 1973." read  
"2 of 1974".

[No. 15-6/75-SPY]

S. V. SAMPATH, Jt. Secy.

( 2793 )

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1976

सां. कां. निं. 913 (अ)/आव. वस्तु/गन्ना.—भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 27 अक्टूबर, 1975 में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश संख्या सां. कां. निं. 542 (अ)/आव. वस्तु/गन्ना, तारीख 27 अक्टूबर, 1975 में,—

पृष्ठ 2216 पर खण्ड 9क के उपखण्ड (3) की पंक्ति 1 में "1973 का 2" के स्थापन "1974 का 2" पढ़ें।

[सं. 1546/75-एस. पी. वाई.]

एस. वी. सम्पत, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा  
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976